सेरोगेसी (स्थानापन्नता) अथवा किराये की कोख

पवन कुमार

सेरोगेसी को विधि आयोग की शब्दावली में ''स्थानापन्नता'' और जनसामान्य की बोलचाल की भाषा में ''किराये की कोख'' कहा जाता है। वर्तमान समय में यह चर्चा में है। प्राचीनकाल भारतीय समाज में भी यदा कदा इसके अधित्व के प्रमाण मिलते हैं। इसका प्रयोग सन्तानोपत्ति के द्वारा मानव पीढ़ी और वंश परम्परा को कायम रखते हुए किसी बच्चे को जन्म देने से है। यह कार्य केवल और केवल विधित विवाहित महिला एवं पुरूष के द्वारा किया जा सकता है और किया जाना चाहिए, किन्तु इसका वाणिज्यीकरण हो जाने के कारण अर्थात जब कोई महिला अपने पति से भिन्न किसी व्यक्ति के पुत्र के अंश (वीर्य या डिम्ब या दोनों) अपने गर्भ के धारण करने और उसे नौ महीने तक अपने कोख में पालित पोषित करके जन्म देने और उसे उस व्यक्ति को सौंप देने का करार करते हुए किसी सन्तान को जन्म देती है, तब यह कहा जाता है कि उक्त महिला ने अपने कोख को किराये पर (भाड़ों पर दे दिया। ''किराये की कोख'' के अन्तर्गत यही भाव और कार्य निहित है।